वित्तीय स्वीकृति

संख्या-65/2016/3067/52-3-2016-सा(2)/2015(बलरामपुर महिला)

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,

अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0

□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

विषयः-अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजनान्तर्गत जनपद बलरामपुर में बालिकाओं हेतु मा◌ॅडल इण्टर कालेज की स्थापना किये◌े जाने के लिये वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-2241/52-3-16-□□□(01)/2013 दिनांक 8.8.2016 द्वारा अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित होने वाले माडल इण्टर कालेज की स्थापना हेतु दिये जाने वाले अनावर्तक अनुदान के लिए अर्हता तथा प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

2. उक्त व्यवस्थानुसार किसान महाविद्यालय शिक्षण संस्थान ग्राम महुवा पाकड़, गौरा चैकी जिला गोण्डा द्वारा संचालित नेशनल बालिका इण्टर कालेज मोहनजोत उतरौला, बलरामपुर के निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा माडल इण्टर कालेज की स्थापना हेतु ग्राम मोहनजोत परगना व तहसील उतरौला जनप □□□□□□□ □□ □□□ □0-452 में उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क भूमि पर माडल इण्टर कालेज की स्थापना हेतु शासनादेश 0-2467/52-3-16-□□(2)/15(□□□□□□), दिनांक 03.10.2016 द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुये उक्त भूमि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नाम दर्ज कराये जाने का अनुरोध जिलाधिकारी बलरामपुर से किया गया था जिसके परिपे्रक्ष्य में जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा पत्र सं0-775/□0□0□0/ □ □0डी0□□0□ □0/2016-17, दिनांक 25.11.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उक्त भूमि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नाम अंकित कर दी गयी है।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना हेतु रू0 85,00,00,000/-(रू0 पच्चासी करोड़ मात्र) का पूंजीगत आय व्ययक प्राविधान उपलब्ध है। जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र रू0 16,61,00,000/- की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा रू0 68,39,00,000/- की धनराशि अवशेष है। जनपद बलरामपुर में उक्त भूमि पर निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा उपलब्ध करायी जा रही निःशुल्क भूमि पर मा◌ॅडल इण्टर कालेज के निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु 0 03,02,00,000/- (रू0 तीन करोड़ दो लाख मा) की निर्माण लागत अनुमोदित करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 01,51,00,000/- (रू0 एक करोड़ इक्यावन लाख मात्र) निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) निजी क्षेत्र के अन्तर्गत माडल इण्टर कालेज की स्थापना हेतु प्रबन्धतंत्र द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मानकीकृत माडल इण्टर कालेज के भवन के अनुरूप निर्माण कार्य कराया जायेगा। जिसके लिए स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के माध्यम से निजी प्रबन्धतंत्र को उपलब्ध करायी □□□□

(2) निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल इण्टर कालेज का निर्माण संस्था के प्रबन्धतंत्र के द्वारा कराया जायेगा। जिसका समय≤ पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निरीक्षण किया □□□□

(3) संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश की व्यवस्थानुसार गठित समिति के निर्माण कार्य से संतुष्ट होने एवं धनराशि का उपयोग होने के उपरान्त की गयी संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये ही द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(4) निजी संस्था द्वारा संचालित माडल इण्टर कालेज का जिलाधिकारी अथवा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा समय≤ पर निरीक्षण किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कालेज संचालित है□

(5) संस्था द्वारा शासनादेश की मंशा के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा के अनुसार ही पठन-पाठन का कार्य कराया जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा □□□≤ पर संस्था का निरीक्षण किया जायेगा।

(6) जिलाधिकारी उपरोक्त निजी क्षेत्र के अन्तर्गत शैक्षणिक हब के निर्माण हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मानकीकृत माडल इण्टर कालेज के निर्माण के अनुरूप सतत अनुश्रवण अपने स्तर से समिति गठित कराते हुये सुनिश्चित करेगें तथा प्रतिमाह कार्य प्रगति से शासन को अवगत करायेगें। समयबद्धता व गुणवत्तापरक निर्माण हेतु विशेष ध्यान दिया जाय।

(7) □□□□□ □0-2241/52-3-16-□□□(01)/2013, दिनांक 8.8.216 के अन्तर्गत दिये गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशतः अनुपालन जिलाधिकारी सुनिश्चित करेगें।

(8) प्रबन्धतंत्र तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के मध्य निम्नांकित शर्तो का एक अनुबन्ध किया जायेगा:-

(1) अनुमोदित लागत रू0 03.02 करोड़ से अधिक धनराशि निर्माण कार्य पर व्यय होने की स्थिति में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा उसे अपने स्त्रोतो से स्वयं वहन किया जायेगा।

(2) निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल इण्टर कालेज के संचालन का कार्य निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा ही किया जायेगा किन्तु माडल इण्टर कालेज का पाठयक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित पाठयक्रम के अनुरूप होगा।

(3) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित माडल इण्टर कालेज में माध्यमिक शिक्षा विभाग के माडल इण्टर कालेजों में संचालित ट्रेडों (संकाय) के अनुरूप ही कक्षायें संचालित की □□□□

(4) निजी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित माडल इण्टर कालेजों की हाई स्कूल व इण्टरमीडियट परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित करायी जायेगं□□

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा सेवायोजन को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल अवधि के उपरान्त कोचिंग का संचालन किया जायेगा तथा संस्था द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम अनिवार्य रूप से □□□□ □□□□□

(6) स्थापित माडल इण्टर कालेज में विद्यार्थियों के बीच वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता, शैक्षिक प्रतियोगिता एवं कम्प्यूटर आदि का ज्ञान भी कराया जायेगा।

(7) संस्था द्वारा उक्त विद्यालय में छात्र/छात्राओं में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के संबंध में अभिरूचि उत्पन्न्न करने एवं शासकीय सेवाओं में सेवायोजन हेतु कोचिंग से संबंधित कोर्सेज भी समय≤ पर संचालित किये जायेगें।

(8) निजी संस्था द्वारा माडल स्कूल का नाम किसी जाति, समुदाय, धर्म या व्यक्ति विशेष से संबद्ध नही होगा। स्कूल के नाम के अन्त में अल्पसंख्यक माडल इण्टर कालेज अवश्य होना चाहिये।

(9) यदि निजी संस्था द्वारा अनुबन्ध की शर्तो एवं मानकों के अनुसार कार्य नही किया जाता है तो ऐसी दशा में निजी संस्था को दण्डित करने एवं अनुबन्ध को निरस्त करने की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

(10) किसी भी कारणवश माडल इण्टर कालेज बन्द हो जाव /प्रबन्धतंत्र द्वारा सुचारू रूप से □□□□□ न किये जाने की स्थिति में इसे शासन द्वारा अधिग्रहीत कर लिया जायेगा तथा इसका संचालन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

(11) निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली संस्था द्वारा भूमि के दुरूपयोग या निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन पर उपयोग की दशा में शासन भूमि और उसपर स्थापित सम्पत्तियों को बिना किसी मुआवजे के अपने कब्जे में ले सकेगा।

(12) संस्था को दिये गये अनुदान का दुरूपयोग होने की दशा में संस्था के संचालकों से देय ब्याज सहित भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा। ब्याज की दर 10 प्रतिशत वार्षिक होगी।

(13) निजी क्षेत्र की संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा भवन का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।

4. संस्था के प्रबन्धतंत्र तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के बीच उक्त शर्तो का एक अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा अनुबन्ध हस्ताक्षरित हो जाने के उपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा निजी प्रबन्धतंत्र को शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध करायी □□□□□

5. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, □□□□, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-800-अन्य व्यय-05- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-746/ □□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-3067(1)/52-3-16-तददिनांक।

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, □□□□□

4- □□□□, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, □□□□□

5- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, ब□□□□□□□ □

6- जिला विद्यालय निरीक्षक, बलरामपु□□ □

7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □□□□□□□□ □

8- प्रबन्धक, नेशनल बालिका इण्टर कालेज ग्राम मोहनजोत, □□□□□ □□□□□□, जिला बलरामपुर।

9- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

10- वित्त (ई-11) □□□□□/□□□□□-3/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 /वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1(03 प्रतियों में)/बज□ □□□□□/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।